कार्यालयः— वन प्रमंडल पदाधिकारी, रामगढ़ वन प्रमंडल, रामगढ़।

(रांची रोड नियर बी.आर.एल. गेट, पो0—मरार, जिला—रामगढ़ पिन—829117)

Email id – dfo-ramgarh@gov.in

पत्रांकः— 732 दिनांकः— 2/4/22

सेवा में,

वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल,
बोकारो।

विषय :— **सी0सी0एल0 की नार्थ उरीमारी रेलवे साईडिंग परियोजना हेतु कुल 11.11 हे0 (हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल अन्तर्गत 8.27 हे0 तथा रामगढ़ वन प्रमंडल अन्तर्गत 2.84 हे0) वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव (FP/JH/OTHERS/34881/2018) के संबंध में।**

प्रसंगः— **क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो का ज्ञापांक— 253 दिनांक 25.02.2022**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में सूचित करना है कि विषयगत परियोजना में प्रस्तावित वन भूमि (राजस्व अभिलेख में जंगल—झाड़ी दर्ज भूमि —2.84 हे0) में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंधन किया हुआ पाया गया है। चुंकि अपयोजन हेतु प्रस्तावित प्रश्नगत भू—भाग गैर मजरूआ जंगल झाड़ी दर्ज है, जिसका स्वामित्व वन विभाग को नहीं है। इस संबंध में इस कार्यालय के पत्रांक— 619 दिनांक 24.03.2022 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा उपायुक्त, रामगढ़ से दोषी पदाधिकारियों पर उचित कार्रवाई करने हेतु अनुरोध किया गया है।

सूचनार्थ समर्पित।

अनुलग्नकः— यथोक्त।

आपका विश्वासी,

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
रामगढ़।

ज्ञापांकः— 732 दिनांकः— 2/4/22

प्रतिलिपि :— क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
रामगढ़।

02/4/22

कार्यालयः— वन प्रमंडल पदाधिकारी, रामगढ़ वन प्रमंडल, रामगढ़।

(रांची रोड नियर बी.आर.एल. गेट, पो0—मरार, जिला—रामगढ़ पिन—829117)

Email id – dfo-ramgarh@gov.in

पत्रांकः— 619 दिनांकः— 24/3/2022

सेवा में,

उपायुक्त,
रामगढ़।

विषय :— सी0सी0एल0 की नार्थ उरीमारी रेलवे साईडिंग परियोजना हेतु 11.11 हे0 (रामगढ़ वन प्रमंडल अन्तर्गत 2.84 हे0) वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंगः— क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो का ज्ञापांक— 253 दिनांक 25.02.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में सूचित करना है कि सी0सी0एल0 की नार्थ उरीमारी रेलवे साईडिंग परियोजना हेतु 2.84 हे0 वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव परिवेश पोर्टल के माध्यम से इस कार्यालय में समर्पित किया गया। अंचल अधिकारी द्वारा सत्यापित भूमि विवरणी में गैर मजरूआ खास जंगल झाड़ी दर्ज भूमि 2.84 हे0 जिसकी विवरणी निम्नवत हैः—

क्र0सं0	मौजा का नाम	थाना	थाना संख्या	खाता संख्या	प्लॉट संख्या	रकबा (हे0)
1	साकुल	रामगढ़	21	351	2035	1.08
2	पतरातु	रामगढ़	22	86	2/1380	0.7
3	सयाल	रामगढ़	23	86	160	0.44
				86	171	0.53
				86	212	0.04
				86	123	0.05
					Total=	2.84

माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा रीट संख्या— 202/95 दिनांक 12.12.96 को पारित आदेश के आलोक में किसी भी सरकारी अभिलेख में कोई भी भूमि वन, जंगल, जंगल—झाड़ी के रूप में दर्ज हो तो उसे वन भूमि ही माना जाएगा। वन भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई भी गैर वानिकी कार्य करने से पूर्व वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत भारत सरकार की कार्य अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत बिना अनुमति प्राप्त किए रेलवे लाईन साईडिंग का कार्य किया जा रहा था, जो कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन है।

अतः अनुरोध है कि विषयगत प्रस्ताव में सन्निहित भूमि गैर मजरूआ जंगल झाड़ दर्ज भूमि पर गैर वानिकी कार्य में दोषी पदाधिकारियों पर उचित कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

आपका विश्वासी,

24/03/22

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
रामगढ़।

24/3/22

D:\Mukesh Mishra\Shashi Dubey\FC Act\FC Act Misc. Letter- From 2021.Docx